A.B.P. no. - 320/2026
Subedar Pandey and thirteen others Vs State

न्यायालय, प्रभार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बक्सर।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 320/ 2026

सुबेदार पांडेय और 13 अन्य

बनाम्

बिहार सरकार

अभियुक्त के तरफ से – श्री उमेश कुमार सिंह, (विद्वान अधिवक्ता)
अभियोजन के तरफ से – श्री केदार नाथ तिवारी, (विद्वान लोक अभियोजक)

18.04.2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. सुबेदार पांडेय उम्र 40 वर्ष पिता– स्व0 कृष्णा पांडेय 2. धनजी पांडेय उम्र 34 वर्ष पिता– कृष्णा पांडेय 3. गौतम पांडेय उम्र 30 वर्ष पिता– कृष्णा पांडेय 4. गोविंद पांडेय उम्र 31 वर्ष पिता– कृष्णा पांडेय 5. रवि पांडेय उम्र 38 वर्ष पिता– कृष्णा पांडेय 6. सोनू पांडेय उम्र 27 वर्ष पिता– सुबेदार पांडेय 7. महादेव पांडेय उम्र 45 वर्ष पिता– स्व0 राम स्वरूप पांडेय 8. नीरज पांडेय उम्र 26 वर्ष पिता– महादेव पांडेय 9. धीरज पांडेय उम्र 29 वर्ष पिता– महादेव पांडेय 10. डुली पांडेय उम्र 39 वर्ष पिता– स्व0 खुशीलाल पांडेय 11. मन जी पांडेय उम्र 36 वर्ष पिता– स्व0 खुशीलाल पांडेय 12. मीरा देवी उम्र 38 वर्ष पति – डुली पांडेय 13. मोनी कुमारी उम्र 24 वर्ष पिता– सुबेदार पांडेय 14. देवंती देवी उम्र 38 वर्ष पति – सुबेदार पांडेय की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन बक्सर औद्योगिक थाना कांड संख्या 39/2026, अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 329(4), 351(2), 352, 125, 303(2), 109(1), 3(5) भा0न्या0सं0 को परिचालित किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन की एक प्रति लोक अभियोजक को प्राप्त करायी जा चुकी है। इस आवेदन पर आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् लोक अभियोजक को सुना।

2. प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि दिनांक 04.03.2026 को समय एक बजे दिन में अपने किराना दुकान पर बैठा था तब समान बेच रहा था इसी समय उनके ग्रामीण सुबेदार पांडेय एवं अन्य अभियुक्तगण एकाएक हथियार से लैश होकर आये जिसमें मनु पांडेय व धीरज पांडेय लोहे का रॉड एवं लोहा का टांगी लिये थे और सभी लोग लाठी, ईटा पत्थर लिये हुए सूचक के दुकान पर जान मारने की नियत से एकाएक आ गये तथा सूचक के सर पर कई बार वार किया जिससे उसका सर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वह बेहोश होकर गिर गया। सूचक को बचाने आये उसके भाई तथा सूचक की मां को भी अभियुक्तगण जान मारने की नियत से प्रहार कर जख्मी कर दिये तथा दुकान में घुसकर दुकान का सामान लूट लिया। दुकान के बक्से से मोनी कुमारी 20–25 हजार रूपये तथा सूचक के भाई के गले से एक भर का चेन नोंच लिया। घटना का कारण यह है कि दिनांक 03.03.2026 को सूचक द्वारा अभियुक्तगण को टुल्लू पंप चलाने से मना किये जिस पर अभियुक्तगण द्वारा बाता–बाती एवं धमकी दिया गया। अभियुक्तगण से पहले से जमीनी विवाद है इसी बात को लेकर सभी पूर्व नियोजित ढंग से जान से मारने एवं लूट पाट की घटना किये है। सूचक तथा उसके भाई द्वारा थाना पर आने पर महोदय द्वारा पहले इलाज कराने को कहा गया जिसके उपरांत सूचक वगैरह सदर अस्पताल, बक्सर में इलाज कराये।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि, आवेदक/अभियुक्त का इससे पूर्व कोई भी जमानत आवेदन या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में न माननीय उच्च न्यायालय पटना में न कही दाखिल किया है न कहीं लंबित है। आवेदक निर्दोष है तथा जान बूझकर झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदकगण का घ ाटना से कोई संबंध नहीं है। सभी धाराएं जमानतीय है सिवाय धारा 109(1), 303(2) जो आवेदकगण के विरूद्ध नहीं बनता है। सूचक द्वारा पूर्व दुश्मनी एवं विधिक मस्तिष्क का प्रयोग कर केस किया गया है। इसलिए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाये।

4. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। इसलिए अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

5. उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी भा0न्या0सं0 की धारा 115(2), 126(2), 329(4), 351(2), 352, 125, 303(2), 109(1), 3(5) के अंतर्गत आवेदकगण सहित सोलह अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगणों पर सूचक वगैरह को जान मारने की नियत से मारपीट कर जख्मी करने तथा लूटपाट करने का आरोप है। कांड दैनिकी के पारा 32 और 33 में जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन है जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि उन्हें साधारण प्रकृति की चोंटे कारित हुई है तथा प्राथमिकी में सूचक द्वारा आरोपित जख्म, जख्म प्रतिवेदन में कारित जख्मों से मेल नहीं खाते है। कांड दैनिकी के पारा 38 के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।

उक्त तथ्यों विवेचना तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण सुबेदार पांडेय, धनजी पांडेय, गौतम पांडेय, गोविंद पांडेय, रवि पांडेय, सोनू पांडेय, महादेव पांडेय, नीरज पांडेय, धीरज पांडेय, डुली पांडेय, मन जी पांडेय, मीरा देवी, देवंती देवी को आदेश प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर आत्मसमर्पण/गिरफतारी की स्थिति में अग्रिम जमानत आवेदन 10000 (दस हजार) X 2 बंध पत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू (जिसमें एक जमानतदार आवेदक का निकट संबंधी होंगे) दाखिल करने पर स्वीकृत किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 का अंडरटेंकिग देंगे एवं विचारण में सहयोग करेंगे।

(लेखापित व शुद्धिकृत)

Sd/-

(अनुपम कुमारी)

प्रभारी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, बक्सर।
दिनांक–18.04.2026

ज्ञापांक– दि0–

पारित आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ..... को भेजा जाता है।

(लेखापित व शुद्धिकृत)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बक्सर